

# वार्षिक प्रतिवेदन

2018-19



राजस्थान राज्य  
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा डूंगरी,  
जयपुर-302004

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

### वार्षिक प्रतिवेदन (2018–2019)

#### परिचय

औद्योगीकरण के सतत् विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति-निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी है:—

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
- लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

#### मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम 1974 में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य—सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2018–2019 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :—

1	श्रीमती अपर्णा अरोडा दिनांक: 01.04.2018 से 19.12.2018 तक	अध्यक्ष
	श्री सुर्दर्शन सेठी दिनांक: 20.12.2018. से 31.03.2019	
2	श्री के.सी.ए.अरूण प्रसाद दिनांक: 01.04.2018 से 30.04.2018 तक	सदस्य—सचिव
	श्री अजय कुमार गुप्ता दिनांक: 01.5.2018 से 25.6.2018 तक	
	श्री के.सी.ए.अरूण प्रसाद दिनांक: 26.06.2018 से 28.01.2019 तक	
	श्रीमती शैलजा देवल दिनांक: 29.1.2019 से 31.03.2019	
3	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य (सरकारी)
4	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)

5	आयुक्त, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)
6	मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) जन स्वा.अभि.विभाग,	सदस्य (सरकारी)
7	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-३ ) विभाग	सदस्य (सरकारी)
8	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य (बोर्ड या निगम)
9	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम	सदस्य (बोर्ड या निगम)
10	श्री अशोक लाहोटी, महापौर, नगर निगम, जयपुर दिनांक: 01.04.2018 से 14.01.2019* तक	सदस्य (स्थानीय निकाय)
11	श्री नारायण चौपड़ा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
12	श्री महेश विजय, महापौर, नगर निगम, कोटा	सदस्य (स्थानीय निकाय)
13	श्री घनश्याम ओझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
14	श्री लोकेश द्विवेदी, उप महापौर, नगर निगम, उदयपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
15	श्री शान्ति लाल बालर, लघु उद्योग भारती, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)
16	श्री अभिषेक शर्मा, पुत्र श्री कैलाश शर्मा, 705, ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)
17	मेजर श्री विकास चौधरी, (सेवानिवृत), ए— 147, गोल बिल्डिंग, विद्युत नगर, जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)

\* वर्तमान में श्री अशोक लाहोटी, दिनांक 15.01.2019 से 15 वीं विधान सभा के विधायक है।

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 15 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के बारह अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 403 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 265 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गों में विभाजित हैं। मण्डल के विस्तार एवं नवीन पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

वर्ष 2018–2019 के दौरान मण्डल की 2 बैठके दिनांक 14.06.2018 एवं 08.08.2018 को आयोजित की गई।

#### मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन/उपचार/निस्तारण हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियमों में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2018–2019 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

## सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन

- वर्ष 2018–2019के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 12079 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2018–2019के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 6075 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2018–2019के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 399 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2018–2019के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 1171 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2018–2019के दौरान राज्य मण्डल द्वारा ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 के अन्तर्गत कुल 12 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

## परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में आलोच्य वर्ष तक परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 1633 उद्योगों को चिन्हित किया गया है।

## परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः—

- ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
- ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
- अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में मैसर्स कान्टीनेन्टल पेट्रोलियम प्रा० लि० में स्थित भर्मक (incinerator) को सामूहिक भर्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।
- राज्य के लगभग सभी बड़े सीमेंट उद्योगों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट का सहप्रसंस्करण (Co-processing) किया जा रहा है।
- राज्य में लगभग 207 पंजीकृत पुनः चक्रण उद्योग (रजिस्टर्ड रिसाईकलर्स) स्थापित है जो लैड एसिड, यूज्ड ऑयल, वेस्ट ऑयल आदि का पुनः चक्रण करते हैं।
- राज्य में परिसंकटमय अपशिष्ट के पूर्व प्रसंस्करण सुविधा (1,80,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता) का उद्योग जिला चित्तौड़गढ़ में स्थापित एवं कार्यरत है।

## जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2018–2019 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बिस्तर के 18 अस्पतालों, 200 से 499 बिस्तर के 76 अस्पतालों, 100 से 199 बिस्तर के 57 अस्पतालों, 100 बिस्तर तक के 4788 अस्पतालों एवं 1537 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र आदि को चिह्नित किया गया है इनसे अनुमानतः 22262.378 किलोग्राम प्रतिदिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

### जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 08 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैत्थ केर एस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर/ जिले
1	इन्स्ट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम—खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जिला जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू
2	एनविजन एनवायरो इंजिनियर्स प्रा. लि., ग्राम—उमरदा, उदयपुर।	जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही एवं झूंगरपुर
3	सेल्स प्रमोटर, ग्राम—केरू, जैसलमेर रोड, जोधपुर।	जिला जोधपुर, जैसलमेर एवं पाली
4	सेल्स प्रमोटर, ग्राम—सांदरिया, अजमेर	जिला अजमेर एवं भीलवाडा
5	इटेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर	जिला बीकानेर, नागौर एवं चूरू
6	इटेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर
7	हॉस्पिट इन्सीनरेटर, रुथ धूनी नाथ, अलवर।	जिला अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली
8	हॉस्पिट इन्सीनरेटर, ग्राम—धानवारा, झालावाड़	जिला झालावाड, बारौं, कोटा एवं बून्दी
9	मैसर्स—जे.आर.आर.वेस्ट मैनजेमेन्ट प्रा.लि.(पूर्व नाम—दत्त एन्टरप्राइजेज लिमिटेड) ब्लॉक नं. एस 21 शॉप नं. 04 संजय पैलेस आगरा	जिला धौलपुर

इनके अतिरिक्त राज्य में सात सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाएँ प्रस्तावित हैं।

### संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (CETP)

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं साँगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूह से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2018–2019 तक 17 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन सत्रह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से पांच संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए एवं एक उपचार संयंत्र वस्त्र उधोग इन्टीग्रेटेड प्रोसेस हेतु, तीन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बाड़मेर) एवं दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जसोल (जिला बाड़मेर) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बिठुजा (जिला बाड़मेर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री-रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर—माचेड़ी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए एवं दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र कमशः सांगानेर एवं बगरू (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित लघु वस्त्र उद्योगों के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है। भिवाड़ी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। वर्ष 2017–2018 में भिवाड़ी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता विस्तार कार्य के अन्तर्गत इस संयंत्र की क्षमता 6एम.एल.डी. से बढ़ाकर 9 एम.एल.डी. की गई। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:—

### राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

क्र सं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान	स्थापना/प्रारम्भ वर्ष	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता	उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई
1	प्रथम संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –1) मण्डया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1983	05.20 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
2	द्वितीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –2) मण्डया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1997	08.40 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
3	तृतीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –3) पुनायता रोड, जिला पाली	1999	09.08 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
4.	चतुर्थ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2009	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
5	शश्ठ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –6) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2015	12 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

6	प्रथम संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –1) बालोतरा, जिला बाडमेर	2000	06.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
7	द्वितीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –2) बालोतरा, जिला बाडमेर	2006	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
8	तृतीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –3) बालोतरा, जिला बाडमेर	2015	18 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
9	जसोल, जिला बाडमेर	2004	02.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
10	जसोल, जिला बाडमेर	2013	4.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
11	बिठुजा, जिला बाडमेर	2006	30.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
12	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	2004	20.00 एम.एल.डी.	वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योग
13	रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	2004 2017–2018	06.00 एम.एल.डी. 3.00 एम.एल.डी. (कुल क्षमता—9.00 एम.एल.डी.)	जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल—जल
14	रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर	2002	00.60 एम.एल.डी.	चर्मशोधन उद्योग
15	नेक्स्ट जेन टैक्स पार्क, पाली	2009	00.8 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
16	जयपुर ईन्टिग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क, बगरू, तहसील— सांगानेर, जिला जयपुर	2013	00.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
17	सांगानेर सी.ई.टी.पी. तहसील— सांगानेर, जिला जयपुर	2018	12.3 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

## सीवेज उपचार संयंत्र (STP)

राज्य में वर्ष 2018–2019 तक कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

### राज्य के कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्र

क्र.सं.	स्थल	क्षमता
1.	ग्राम अग्यारा, तहसील रामगढ़, अलवर	20 एम.एल.डी.
2.	भिवाड़ी मोड़ के पास, सेक्टर 1, भिवाड़ी, अलवर	04 एम.एल.डी.
3.	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एसटीपी, अरावली विहार, भिवाड़ी	1.5 एम.एल.डी.
4.	मुण्डाना मेव एसटीपी, खसरा नं. 253, मदरसा वार्ड नं. 43 के सामने, भिवाड़ी	02 एम.एल.डी.
5.	आनासागर झील, रीजनल कॉलेज के पास, अजमेर	13 एम.एल.डी.
6.	खानपुरा तालाब, अजमेर	20 एम.एल.डी.
7.	ग्राम कुर्ला, बाड़मेर	10 एम.एल.डी.
8.	ग्राम जेरला, बालोतरा कस्बे के पास, तहसील पचपदरा, बाड़मेर	09 एम.एल.डी.
9.	वल्लभ गार्डन, बीकानेर	20 एम.एल.डी.
10.	सराय नाथानिया, बीकानेर	12 एम.एल.डी.
11.	वार्ड नं. 7, नोखा, जिला बीकानेर	01 एम.एल.डी.
12.	सुरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर	10 एम.एल.डी.
13.	हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़	05 एम.एल.डी.
14.	हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़	7.5 एम.एल.डी.
15.	ग्राम कुवाड़ा, भीलवाड़ा	10 एम.एल.डी.
16.	अभिमन्यु पार्क के पास, चित्तोड़गढ़	03 एम.एल.डी.
17.	ग्राम तागावाली, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर	10 एम.एल.डी.
18.	ग्राम डेलावास, प्रथम प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर	62.50 एम.एल.डी.
19.	ग्राम डेलावास, द्वितीय प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर	62.50 एम.एल.डी.
20.	ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील आमेर, जयपुर	50 एम.एल.डी.
21.	रामनिवास बाग, जयपुर	01 एम.एल.डी.
22.	रलावता, ग्राम गोनेर, जयपुर	30 एम.एल.डी.
23.	ग्राम गजोधरपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर	30 एम.एल.डी.
24.	स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जयपुर	01 एम.एल.डी.
25.	जवाहर सर्किल, जयपुर	01 एम.एल.डी.
26.	सेन्ट्रल पार्क, जयपुर	01 एम.एल.डी.
27.	जे.डी.ए. कॉलोनी, पालड़ी मीणा, जयपुर	03 एम.एल.डी.
28.	राजीव आवास योजना, मुहाना मण्डी, जयपुर	01 एम.एल.डी.
29.	ब्रह्मपुरी, तहसील आमेर, जयपुर	08 एम.एल.डी.
30.	ब्रह्मपुरी, तहसील आमेर, जयपुर	7.8 एम.एल.डी.
31.	अम्बाबाड़ी, जयपुर (द्रव्यवती प्रोजेक्ट)	20 एम.एल.डी.
32.	देवरी, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर	15 एम.एल.डी.
33.	रीको, कुन्दन नगर, मानसरोवर, जयपुर	100 एम.एल.डी.
34.	बम्बाला, प्रताप नगर, मानसरोवर, जयपुर	25 एम.एल.डी.
35.	गोनेर, आगरा रोड जयपुर	10 एम.एल.डी.
36.	किशनघाट, जैसलमेर	10 एम.एल.डी.

37.	जालौर शहर के पास, जालौर	10 एम.एल.डी.
38.	ग्राम गिरधरपुरा, तहसील झालरापाटन, झालावाड़	03 एम.एल.डी.
39.	ग्राम फैजलपुर, तहसील झालरापाटन, झालावाड़	06 एम.एल.डी.
40.	ग्राम नान्दडी, बैनाड़ रोड, जोधपुर	20 एम.एल.डी.
41.	सालावास, प्रथम, जोधपुर	50 एम.एल.डी.
42.	सालावास, द्वितीय, जोधपुर	50 एम.एल.डी.
43.	साजीधेड़ा, किशोरपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा	30 एम.एल.डी.
44.	डाड देवी रोड, ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील लाडपुरा, कोटा	20 एम.एल.डी.
45.	ग्राम डीडवाना, नागौर	05 एम.एल.डी.
46.	ग्राम मकराना, नागौर	06 एम.एल.डी.
47.	बलवा रोड, नागौर	8 एम.एल.डी.
48.	ई.एस.आई. हॉस्पिटिल के पास, पुनायता रोड, पाली	7.50 एम.एल.डी.
49.	ग्राम प्रतापपुरा, राजसमन्द	05 एम.एल.डी.
50.	ग्राम हेतामजी, (माउण्ट आबू) तहसील आबू रोड, सिरोही	6 एम.एल.डी.
51.	ग्राम सूरवाल, सवाई माधोपुर	10 एम.एल.डी.
52.	ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	20 एम.एल.डी.
53.	ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	25 एम.एल.डी.
54.	एफसीआई के पास, युनाइटेड स्प्रिट के पीछे, उदय सागर रोड, उदयपुर	10 एम.एल.डी.
55.	संयुक्त सीवेज उपचार संयंत्र, फतेहपुर, सीकर	7.5 एम.एल.डी.
56.	संयुक्त सीवेज उपचार संयंत्र, गजसर, चुरू	07 एम.एल.डी.
57.	ग्राम शेखपुरा तहसील एवं जिला धौलपुर	03 एम.एल.डी.
58.	राजकीय महाविद्यालय के पीछे, तहसील एवं जिला करौली	05 एम.एल.डी.

### प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2018–2019 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः—

नमूनों के प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
जल / उच्छिष्ट	4210
उत्सर्जित वायु/गैस	570
परिवेशी वायु	61441
ध्वनि स्तर	2275
योग	68496

### शिकायत निस्तारण

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

वर्ष 2018–2019 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यावरण/जल/वायु के प्रदूषण से संबंधित कुल 1145 शिकायतें प्राप्त हुई एवं 1045 शिकायतों का निराकरण किया गया।

## जनचेतना

राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य हेतु पर्यावरण से संबंधित विशिष्ट दिवसों यथा पृथ्वी दिवस—22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस—5 जून, ओजोन परत संरक्षण दिवस—16 सितम्बर के अवसर पर प्रतिवर्ष राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सामाजिक एवं शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से वृक्षारोपण, संगोष्ठियां, विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी, प्रदर्शनी, पोस्टर एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, पौध वितरण आदि कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु इन सभी कार्यक्रमों का संचार साधनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जाता है।

आलोच्य वर्ष में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित प्रभावी ज्ञानवर्धन हेतु राज्य व्यापी सघन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस—22 अप्रैल 2018, विश्व पर्यावरण दिवस—5 जून 2018 एवं ओजोन परत संरक्षण दिवस—16 सितम्बर 2018 के अवसर पर पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राज्य के जिलों में गठित जिला पर्यावरण समितियों को उक्त तीनों अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार राशि रूपये 50000 तक उपलब्ध करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस—5 जून 2018 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) द्वारा चुने गये विषय (थीम) “Beat Plastic Pollution” को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण के प्रति जनचेतना एवं जन सहभागिता के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जयपुर में पर्यावरण विभाग, वन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, राजस्थान स्काउट गार्ड, यातायात पुलिस आदि की सहभागिता से राज्य स्तरीय आयोजन के अन्तर्गत प्रातः 6 बजे ‘रन फौर एनवायरमेंट रैली’ आयोजित की गई।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 641 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 629 मांगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 48 अपीलें दायर की गई। इन सभी का निस्तारण किया गया।

## पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में विभिन्न औद्योगिक, आधारभूत तथा खनन परियोजनाओं के प्रकरणों की कुल 42 जन सुनवाई आयोजित की गई एवं प्रकरण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

## विधिक कार्यवाही

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वर्ष 2018–2019 में कुल 37 विधिक अभियोजन दायर किये गये।

- वर्ष 2018–2019 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 824 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 357 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 267 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 200 इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किये गये।

### विविध गतिविधियाँ

- राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 08 प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 39 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में 03 स्थानों पर तथा कोटा में 06 स्थानों पर तथा जोधपुर एवं जयपुर में 09 स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।
- राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में जयपुर एवं जोधपुर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये थे। राज्य मण्डल द्वारा वर्ष 2017–2018 के दौरान राज्य के 7 शहरों में 8 नये सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों (जयपुर में 2 एवं अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा, पाली, तथा उदयपुर में एक—एक स्थान पर) की स्थापना की गई। इस प्रकार राज्य में वर्तमान में कुल 10 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र कार्यरत हैं।
- मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक अन्य परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 199 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्त्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में नदियों एवं झीलों के जल (सतही जल) के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक एवं कुओं की छःमाही है। 199 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 60 केन्द्र नदियों एवं झीलों पर तथा 139 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुएँ, हैण्डपम्प, द्यूबवेल) पर चिह्नित किए हुए हैं।
- विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राज्य मण्डल द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय प्रर्दशनी में भाग लिया गया जिसके अन्तर्गत राज्य में कार्यरत विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित संयंत्रों एवं लिये गये नवीनतम प्रयासों की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागृति रन ‘फॉर इन्वायरमेन्ट रैली’ एवं अन्य गतिविधियाँ की गई।
- मण्डल द्वारा वर्ष 2019 में राजस्थान में ‘बैंचमार्किंग वाटर रिसोर्सज इंडस्ट्रियल एरिया एवं वाटर इंटेसिव यूनिट्स’ की गाइडलाइन्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इकोलॉजी को दिया गया। इस योजना की कुल लागत 24,50,000/-रुपये है।
- मण्डल द्वारा वर्ष 2019 में एनजीटी के आदेशानुसार राज्य में चम्बल एवं बनास नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु रिवर रिजुवेनेशन पर एक्शन प्लान बनाने के लिए कार्य एमएनआईटी को दिया गया उक्त राज्य मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे


वर्ष 2018–2019के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

आय (लाख रुपये में)		व्यय (लाख रुपये में)	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	5.00	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	2730.60
जल उपकर पुनर्भरण	50.00	कार्यालय व्यय	1654.10
सम्मति शुल्क	11982.38	प्रयोगशाला व्यय	95.04
पी.डी.खाते से ब्याज	44.84	विज्ञापन एवं प्रकाशन	66.52
बैंक / एफ.डी.आर. पर ब्याज	4422.38	अनुसंधान एवं विकास	563.25
अन्य ब्याज	0.85	पूँजीगत व्यय	109.95
विविध आय	85.75	के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि	47.08
नमूना विश्लेषण	5.35	के विरुद्ध व्यय	
बी.एम.डब्ल्यू.	0.03		
योग	<b>16596.58</b>		<b>योग 5266.54</b>

## जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2018–2019 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्र सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्र सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

उपकर राशि का विवरण	राशि (करोड रुपये में)
जल उपकर निर्धारण की राशि	5.04
जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि	19.51
केन्द्र सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि	Nil



## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर

Phone : 0141-2711263, 2709821  
[www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb](http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb)